



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940

No. 4142]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5333(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देती है कि धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंध, यथास्थिति, माल या यात्रीयों के वहन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त या प्रयोग किये जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के परिवहन यानों को लागू नहीं होंगे अर्थात:-

- (i) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (प) में यथा परिभाषित बैटरी चालित यान;
- (ii) मेथनाल ईंधन द्वारा चालित कोई यान और;
- (iii) इथनाल ईंधन द्वारा चालित कोई यान ।

[फा. सं. : आर टी-11036/80/2012-एम वी एल (भाग-IV)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

ORDER

New Delhi, the 18th October, 2018

S.O. 5333(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby orders that the provisions of sub-section (1) of section 66 of the said Act shall not apply to following types of transport vehicles used, or to be used, for the purpose of carriage of goods or passengers as the case may be, namely:-

-
- (i) a Battery Operated Vehicle as defined under clause (u) of rule 2 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;
 - (ii) a vehicle driven on methanol fuel; and
 - (iii) a vehicle driven on ethanol fuel.

[F. No. RT-11036/80/2012-MVL(Part-IV)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.